R.M.M. Law College Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part 1st
Paper - IInd
Constitutional Law

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का स्थान मूल अधिकारों में सर्वोच्च माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता सम्बन्धी विभिन्न अधिकार प्रदान किये गये हैं। उपर्युक्त स्वतंत्रताएँ मूल अधिकारों के आधार-स्तम्भ हैं। इनमें छः मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान सर्वप्रमुख है:-

(i) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
(ii) सभा करने की स्वतंत्रता,
(iii) संघ बनाने की स्वतंत्रता,
(iv) भ्रमण की स्वतंत्रता,
(v) आवास की स्वतंत्रता
(vi) पेशा, व्यवसाय, वाणिज्य एवं व्यापार की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं:- अनुच्छेद 19 में 'नागरिक' शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें प्रदत्त स्वतंत्रताएँ केवल भारत

Scanned with CamScanner

के नागरिकों को ही उपलब्ध हैं किसी विदेशी को नहीं। इसी प्रकार एक कंपनी भी नागरिक नहीं है, अतएव वह अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों का दावा नहीं कर सकती है। 'नागरिक' शब्द से केवल मनुष्य मात्र का बोध होता है, कृत्रिम व्यक्ति का नहीं।

जैसा विदित है कि उपर्युक्त स्वतंत्रताएँ आत्यंतिक नहीं हैं। किसी भी देश में नागरिकों के अधिकार असीमित नहीं हो सकते हैं। एक व्यवस्थित समाज में ही अधिकारों का अस्तित्व हो सकता है। नागरिकों को ऐसे अधिकार नहीं प्रदान किये जा सकते जो समस्त समुदाय के लिए अहितकर हों। यदि व्यक्तियों के अधिकार पर समाज अंकुश न लगाए तो उसका परिणाम विनाशकारी होगा। स्वतंत्रता का अस्तित्व तभी संभव है जब वह विधि द्वारा संयमित हो। अपने अधिकारों के प्रयोग में हम दूसरों के अधिकारों पर आघात नहीं पहुँचा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 के खण्ड (2) से (6) के अधीन राज्य को लोकहित में आवश्यक निर्बन्धन लगाने की शक्ति प्रदान की गयी है, किंतु शर्त यह है कि निर्बन्धन युक्तियुक्त हो। युक्तियुक्त निर्बन्धन के लिए दो बातें आवश्यक हैं—

(1) निर्बन्धन केवल अनुच्छेद 19 के खण्ड (2) से (6) के अधीन दिये गये आधारों पर ही लगाये जा सकते हैं।

(2) निर्बन्धन युक्ति-युक्त होना चाहिए।

युक्तियुक्त निर्बन्धन :-

निर्बन्धनों की युक्तियुक्तता का निर्धारण करना न्यायालयों का कार्य है। इस प्रकार युक्तियुक्त शब्दावली न्यायालयों के पुनर्विलोकन की शक्ति को अत्यंत विस्तृत कर देता है। इस प्रश्न पर विधान मण्डल का निर्णय अंतिम नहीं है। वह न्यायिक निरीक्षण के अधीन है। किंतु निर्बन्धनों की युक्तियुक्तता को जाँचने के लिए कोई निश्चित कसौटी नहीं है। इस बात का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ सामान्य नियम स्थापित किये हैं जिनके आधार पर निर्बन्धनों की युक्तियुक्तता की जाँच की जाती है। ये इस प्रकार हैं :-

(1) कोई निर्बन्धन युक्तियुक्त है या नहीं इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय देने की शक्ति न्यायालयों को है, विधान मण्डल की नहीं।

(2) नागरिकों के अधिकारों पर लगाये गये निर्बन्धन समाज या जनता के हित में अपेक्षित है।

(3) युक्तियुक्तता का कोई निश्चित या सामान्य मानदण्ड नहीं किया जा सकता है जो सभी मामलों में सामान्य रूप से लागू हो सके।

(4) निर्बन्धनों की मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि दोनों दृष्टिकोणों से युक्तिसंगत होना चाहिए। इसलिए न्यायालय को प्रतिबन्धों

की केवल अवधि और मात्रा से नहीं वरन् उनकी परिस्थितियों और उनको लागू करने के लिए प्राधिकृत किये गए ढंग पर भी विचार करना चाहिए।

(5) राज्य की नीति निदेशक तत्वों में विहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लगाये गये निर्बन्धन युक्तियुक्त माने जा सकते हैं।

(6) निर्बन्धन की युक्तियुक्तता के निर्धारण में न्यायालयों का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ होना चाहिए व्यक्तिनिष्ठ नहीं। युक्तियुक्तता का मानदण्ड एक औसत विवेकशील व्यक्ति का मानदण्ड है न कि जिसे न्यायालय युक्तियुक्त मानता है।

(7) निर्बन्धनों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उनमें और उस उद्देश्य में जिसे विधायिका कानून बनाकर प्राप्त करना चाहती है, एक विवेकपूर्ण संबन्ध होना चाहिए

(8) अनुच्छेद 19(1) में दिये गये अधिकारों पर लगाये गये प्रतिबन्ध केवल अनुच्छेद 19 के खण्ड (2) से (6) के अंतर्गत उल्लिखित आधारों पर ही लगाये जा सकते हैं। इसको किसी अन्य आधार पर लगाये गए अन्य प्रतिबन्ध असंवैधानिक होंगे।

(9) न्यायालयों का कार्य केवल निर्बन्धनों की युक्तियुक्तता का निर्माण करना है। कानून की युक्तियुक्तता का निर्धारण करना नहीं। न्यायालय को केवल यही देखना है कि नागरिकों के अधिकारों पर लगाये गये प्रतिबन्ध युक्तियुक्त हैं या नहीं।

(10) युक्तियुक्तता का निर्बन्धन 'निषेधात्मक' भी हो सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकों के अधिकार पर पूर्ण रोक लगाना युक्तियुक्त

Scanned with CamScanner

(5)

निर्बन्धन माना जाता है। लेकिन जहाँ प्रतिबन्ध निषेध की सीमा तक पहुँच जाता है वहाँ न्यायालयों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि युक्तियुक्त निर्बन्धन के मानदण्ड को पूरा किया गया है या नहीं